चिकित्सा हेतु स्थानान्तरण के लिये निर्धारित समिति की संस्तुति

शासनादेश संख्या 2971/ई0बी0आर0/23131-3/81 दिनांक 4-9-1981 के अनुसार निर्धारित समिति द्वारा श्री..अवर अभियंता,................................ खण्ड, लोक निर्माण विभाग,..................... की पत्नी श्रीमती...बीमारी का इलाज..... .... में चल रहा है।

अतः समिति श्री..,अवर अभियंता को अपनी पत्नी के तनाव रहित तथा उनकी देख-रेख करने हेतु ....में ही रखना आवश्यक मानती है। तथा श्री ....अवर अभियंता को .... से स्थानान्तरण करने की संस्तुति करती है।

1- अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, समिति संयोजक
.... ।

2- अधिशासी अभियंता, सदस्य
.... खण्ड, लो0नि0वि0,
.... ।

3- रोग विशेषज्ञ
.... ।

4- मुख्य चिकित्साधिकारी
.... ।

पत्र सं0 2971ईबीआर/23131-3/81, दिनांक 4 सितम्बर 1981 प्रेषक- हर गोविन्द विश्नोई सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ। सेवा में, प्रमुख अभियंता, सा0नि0वि0, व्यवस्थापन (क) वर्ग,उ0प्र0 लखनऊ।

अनेक अवसरों पर यह देखने में आया है कि स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना हेतु विभाग के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी अपने या अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी के झूठा प्रमाण-पत्र देने से नही हिचकिचाते हैं। इस सम्बन्ध में आपके अ0शा0 पत्रांक 8461ईए, दिनांक 15 जुलाई, 1981 में पाई गयी स्थिति पर विचारोपरान्त शासन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इस दिशा में सुधार एवं वास्तविकता की जानकारी हेतु प्रत्येक जनपद में एक समिति का गठन कर दिया जाय। बीमारी अवस्था में यह आवश्यक होगा कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवारिक सदस्य की जॉच, इस समिति द्वारा की जाय तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों जब तकि इस समिति की संस्तुति नही हो जाती है तब तक ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। उसके लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

तद्नुसार शासन ने चिकित्सा विभाग की सहमति से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर निम्नांकित तीन सदस्यों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया है जो इस विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के बारे में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी :-

जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी - अध्यक्ष/सदस्य

बीमारी विशेष का अस्पताल का विशेषज्ञ जो अध्यक्ष द्वारा नामित-सदस्य किया जायेगा।

जिले में सा0नि0विभाग के - संयोजनक सदस्य

प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियंता

प्रश्नगत समिति की बैठकें यथा आवश्यक समय समय पर आयोजित करने का दायित्व संयोजक सदस्य का होगा।

आपसे अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय से विभाग के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को तुरन्त अवगत करा दिया जाय एवं प्रदेश के समस्त जिलों के उपरोक्त पदाधिकारियों को भी सूचित कर दिया जाय। प्रसारित परिपत्र की प्रेषित शासन को को सूचनार्थ भेजी जाय।

पत्रांक 2971ईबीआर/23131 तद्‌दिनांक -

प्रतिलिपि अनुभाग - 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

2971ईबीआर/23131, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :-

सार्वजनिक निर्माण मंत्री/राज्य मंत्री एवं उप मंत्री के निजी सचिव।

सा0नि0विभाग सचिव शाखा के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग-1,अनुभाग-3 को छोडकर।

निदेशक, स्वास्थ सेवा, उ0प्र0, दर्शन विलास भवन, लखनऊ।

कार्यालय प्रमुख अभियता, उ0प्र0,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
व्यवस्थापन (क) वर्ग

सं0 1721ईए/टी-29/84, लखनऊ दिनांक 3/2/1986

शासनादेश सं0 2971 ईबीआर/23131/81, दि0 4.9.1981 की प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ पुन संलग्न कर प्रेषित की जाती है कि कृपया इस शासनादेश को अपने जो भी अधिकारियों/कर्मचारियो से अंकित करा लें। इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी अपना स्थानान्तरण चिकित्सीय आधार पर करवाना/रूकवाना चाहता है, वह उक्त संदर्भित शासनादेश मे निहित आदेशानुसार जनपदीय समिति के समक्ष जिला मुख्यालय के अधिशासी अभियंता, प्रा0खण्ड के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित हो उसकी संस्तुति प्राप्त करें। इस समिति की संस्तुति के बिना इस प्रकार के प्रार्थना पत्रो पर कार्यवाही नहीं की जायेगी :-

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, सा0नि0विभाग, उत्तर प्रदेश।
समस्त अधीक्षण अभियंता, सा0नि0विभाग, उ0प्रदेश।
निदेशक, अन्वेषणालय / क्वालिटी प्रमोशन सेल / भारत जनसंख्या परियोजना, सा0नि0वि0, लखनऊ।
समस्त अधिशासी अभियंता, कार्य अधीक्षक, वि0नि0ई0, सा0नि0वि0, उत्तर प्रदेश।